सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 917 राँची, शुक्रवार, 8 नवम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

---

संकल्प

5 नवम्बर, 2019

**संख्या- 5/आरोप-1-24/2015 का० 8835--** श्री जॉन जार्ज तिर्की, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक 402/03, गृह जिला- राँची), के भू-संपदा पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची के पद पर कार्यावधि से संबंधित प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची के पत्रांक-557, दिनांक-04.04.2015 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं :-

**आरोप सं०-1-** आप दिनांक-27.12.2005 से 22.05.2013 तक झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड में विभिन्न पदों पर पदस्थापित रहे। अपने पदस्थापन अवधि में अनियमितता एवं कदाचारिता बरतते हुए श्रीमती प्रसन्ना नारायण, जिन्हें बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के पत्रांक-186, दिनांक-30.05.1992 से अल्प आय वर्गीय मकान सं०-एल०आर०ए०/51 आवंटित आदेश की शर्तों का पालन नहीं करने के कारण बोर्ड के पत्रांक-4016/आ०, दिनांक-07.12.2000 द्वारा रद्द कर दिया गया था। उक्त रद्द आदेश का 7 (सात) वर्षों से अधिक अवधि के बाद झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 2004 के नियम-8(घ) एवं 9 (ख) का उल्लंघन करते हुए बोर्ड की 20वीं बैठक दिनांक-08.11.2007 की कार्यावली सं०-16 का बिना पालन किये, मामले की गुण-दोष का बिना सूक्ष्म जाँच/समीक्षा किये ही दिनांक-30.04.2007 एवं दिनांक-30.01.2008 को पुनर्जीवित करने की तिथि को श्रीमती प्रसन्ना नारायण एवं उनके पति श्री वीरेन्द्र राम, राज्य सरकार की सेवा में वरीय राजपत्रित पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे तथा उनके पास राँची नगर निगम

क्षेत्र में अपना बड़ा भूखण्ड पर एक आलीशान मकान सिंह मोड़ के पास 'ऐश्वर्य भवन' के नाम से था। यानी वे झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-संपदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 2004 के नियम-9(ख) के तहत् अल्प आय वर्गीय के अंतर्गत नहीं आती थीं। आवेदिका के आवेदन, दिनांक-10.01.2006 द्वारा स्वयं को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कांके बताया गया तथा एक अन्य आवेदन पत्र, दिनांक-11.03.2003 में अपने पति श्री वीरेन्द्र राम को अपर समाहर्त्ता, पलामू के पद पर पदस्थापित होने की बात स्वीकार की है। यानी वे किसी भी परिस्थिति में अल्प आय वर्ग की श्रेणी के लिए निर्धारित वार्षिक आय 25001 से 50000/- रू0 के अंतर्गत नहीं आती थी, फिर भी आपके द्वारा बिना मामले के गुणदोष की समीक्षा किये रद्द आवंटन आदेश को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव दिया गया, जो स्पष्टतः झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-संपदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 2004 के नियम-8(घ) एवं 9(ख) का उल्लंघन करने के साथ-साथ बोर्ड की 20वीं बैठक, दिनांक-08.11.2007 की कार्यावली सं०-16 में लिए गए निर्णय को नजरअंदाज कर अपने हस्ताक्षर से रद्द आवंटन को पुनर्जीवित करने का आदेश निर्गत कर दिया।

**आरोप सं०-2-** श्रीमती प्रसन्ना नारायण द्वारा दिनांक-29.11.2002 को शपथ पत्र दाखिल किया गया कि उनके पति एवं आश्रित बच्चों के नाम राँची नगर निगम क्षेत्र की परिधि के 8 किमी के अंदर भूमि या मकान, पूर्णतः या आंशिक या लीज होल्ड बेसिस पर नहीं है, जबकि दिनांक-31.10.2006 को विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची द्वारा निर्गत राशन कार्ड के अनुसार आवेदिका का निवास स्थान का पता ऐश्वर्य भवन, सिंह मोड़ के नजदीक अंकित है, जिसकी जाँच भी नहीं करायी गयी कि यह निजी मकान है अथवा भाड़े पर लिया गया है। इसे संज्ञान में न लेकर रद्द आवंटन आदेश को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव दिया गया, जो बिल्कुल अनियमित एवं गलत था।

**आरोप सं०-3-** डॉ० रामस्वरूप राम रवि, कुम्हार टोली, नियर- डंगरा टोली, पुरूलिया रोड, राँची के आवेदन पत्र पर समीक्षोपरांत उनके दावे को आरोपी पदाधिकारी द्वारा बिना मामले की गहन जाँच एवं समीक्षा किये दिनांक-23.02.2007 को तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा रद्द करने संबंधी पारित आदेश के बाद पुनः आवंटन आदेश निर्गत करने का प्रस्ताव दिनांक-27.09.2007 को दिया गया, जिस पर प्रबंध निदेशक द्वारा लॉटरी पंजी बिहार राज्य आवास बोर्ड से मँगाने का आदेश दिया गया, लेकिन आरोपी पदाधिकारी द्वारा गलत मंशा एवं व्यक्ति विशेष को नाजायज लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कालान्तर में पुनः दिनांक-25.01.2008 का बिहार राज्य आवास बोर्ड से बिना लॉटरी पंजी प्राप्त किये ही आवंटन आदेश निर्गत करने का गलत प्रस्ताव देकर तत्कालीन प्रबंध निदेशक से पदाधिकारी द्वारा इस बात की भी जाँच नहीं की गयी कि आवेदक डॉ० रामस्वरूप राम रवि के पास राँची नगर निगम क्षेत्र के 8 किमी की परिधि में अपने या पत्नी या आश्रित बच्चों के नाम स्वतंत्र मकान/भूखण्ड पूर्णतः या आंशिक या लीज होल्ड बेसिस पर है अथवा नही? जाँच में स्वयं डॉ० रवि द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात से ज्ञात हुआ है कि उनके नाम राँची के पुरूलिया रोड स्थित मौजा कोनका थाना राँची 198, खाता सं०-34, खेसरा सं०-269/ए, खाता सं0-135, खेसरा सं०-271/ए, रकबा क्रमशः 5 कट्ठा 7 धुर, एक कट्ठा 7 छटाँक जमीन है, जिस पर पक्का मकान निर्मित है। उक्त जमीन का दाखिल-खारिज वाद सं0-547/आ0, 27/89-90 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर अंचल, राँची द्वारा दाखिल-खारिज की स्वीकृति के पश्चात् जमाबंदी कायम होकर वर्ष 1988-89 से राजस्व रसीद कट रहा है। साथ ही, राँची नगर निगम में भी उक्त जमीन पर स्थित भवन का होल्डिंग नं0-1802/ए, वार्ड सं०-10 में कायम है।

**आरोप सं०-4-** आरोपी पदाधिकारी द्वारा नियम के विरूद्ध बिल्कुल स्वेच्छाचारिता, अनियमितता एवं कदाचारिता बरतते हुए महज एक आवेदन पत्र पर एम०एस० भाटिया को झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-संपदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 2004 के नियम-30(ग) एवं 2(xxxi) का उल्लंघन करते हुए दिनांक-18.02.2008 को गलत प्रस्ताव के आधार पर बिना बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त किये आवंटन आदेश सं0-448/आ0, दिनांक-25.02.2008 से श्री भाटिया को 80'x50'=4000 वर्गफीट क्षेत्रफल, जो उच्च आय वर्गीय भूखण्ड सं0-

एच/118 एवं एच/119 के बीच अवस्थित है, निर्गत कर दिया गया। झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-संपदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 2004 के नियम-2(xxxi) के अनुसार छिटपुट भूखण्ड से अभिप्राय वैसे भूखण्ड से है, जो आवासीय परिसरों के लिए विकसित एवं आवंटन के योग्य न हो। उक्त नियमावली के नियम-30(ग) के अनुसार छिटपुट भूखण्ड का आवंटन वैसे आवंटियों के बीच किया जायेगा, जिनके नाम से अगल-बगल, आगे-पीछे संपदा आवंटित हो। श्री भाटिया को पूर्व से हरमू आवासीय कोलोनी में न ही कोई भूखण्ड आवंटित था और न कोई मकान, फिर भी एक उच्च आय वर्गीय श्रेणी के भूखण्ड को बिल्कुल अवैध, अनियमित एवं कदाचारिता बरतते हुए आवंटन आदेश निर्गत करने का प्रस्ताव दिया गया।

**आरोप सं०-5-** आरोपी पदाधिकारी द्वारा नियम के विरूद्ध बिल्कुल स्वेच्छाचारिता, अनियमितता एवं कदाचारिता बरतते हुए महज एक आवेदन पत्र पर श्री रणजीत कुमार सिन्हा को झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-संपदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 2004 के नियम-30(ग) एवं 2(xxxi) का उल्लंघन करते हुए दिनांक-18.02.2008 को गलत प्रस्ताव के आधार पर बिना बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त किये अपने हस्ताक्षर से दो व्यक्तियों के नाम एक ही आवंटन आदेश से श्री एम०एस० भाटिया एवं श्री रणजीत सिन्हा का दो अलग-अलग भूखण्ड आवंटित कर दिया। आवंटन आदेश सं0-448/आ0, दिनांक-25.02.2008 से श्री भाटिया को 80'x50'=4000 वर्गफीट क्षेत्र, जो मध्यम आय वर्गीय मकान सं0-एच 1/171 के दक्षिण तथा मध्यम आय वर्गीय माना सं०-एच 1/183 के पश्चित अवस्थित है, का आवंटन कर दिया गया। झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-संपदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 2004 के नियम-2(xxxi) के अनुसार छिटपुट भूखण्ड से अभिप्राय वैसे भूखण्ड से है, जो आवासीय परिसरों के लिए विकसित एवं आवंटन के योग्य न हो। उक्त नियमावली के नियम-30(ग) के अनुसार छिटपुट भूखण्ड का आवंटन वैसे आवंटियों के बीच किया जायेगा, जिनके नाम से अगल-बगल, आगे-पीछे संपदा आवंटित हो। श्री सिन्हा को पूर्व से हरमू आवासीय कोलोनी में न ही कोई भूखण्ड आवंटित था और न कोई मकान, फिर भी एक उच्च आय वर्गीय श्रेणी के भूखण्ड को बिल्कुल अवैध, अनियमित एवं कदाचारिता बरतते हुए आवंटन आदेश निर्गत करने का प्रस्ताव दिया गया।

**आरोप सं०-6-** अपने पदस्थापन अवधि के दौरान पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु श्री नरेन्द्र कुमार, पिता-श्री राम व्यास राम, इन्द्रप्रस्थ कोलोनी, जोड़ा तालाब, बरियातू, राँची के नाम किया जाय, न कि सीधे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को। यानी आपके द्वारा बोर्ड के उक्त निर्णय की आड़ में धोखाधड़ी के सहारे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 को लाभ पहुँचाने की मंशा से बिल्कुल अवैध एवं अनियमित तरीके से आवंटन आदेश सं0-134/आ0, दिनांक- 16.01.2008 निर्गत किया गया। आपका उक्त आचरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद-16 के तहत् देश के सभी नागरिकों को प्रदत्त समानता के अधिकार का न केवल उल्लंघन करने वाला है, बल्कि बोर्ड की 20वीं बैठक, दिनांक-08.11.2007 में लिए गए निर्णय के उल्लंघन के साथ-साथ मास्टर प्लान एवं झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-संपदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 2004 के नियम-30(ग) एवं 2(xxxi) का उल्लंघन है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-4663, दिनांक 27.05.2015 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा श्री तिर्की से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण की माँग की गयी परन्तु इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। फलतः विभागीय संकल्प संख्या-3877, दिनांक 11.05.2016 द्वारा श्री तिर्की के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-162, दिनांक 05.12.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री तिकी के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री तिर्की के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत् इनके पेंशन से 20% राशि की कटौती अगले 10 वर्षों तक करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-6275, दिनांक-17.05.2017 एवं पत्रांक-9358, दिनांक-28.08.2017 द्वारा

श्री तिर्की से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी तथा दिनांक-26.11.2017 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इन्हें अंतिम रूप से स्मारित किया गया। परंतु इनका उत्तर अप्राप्त रहा।

श्री तिर्की से द्वितीय कारण पृच्छा अप्राप्त रहने के कारण पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत् इनके पेंशन से 20% राशि की कटौती अगले 10 वर्षों तक करने के बिन्दु माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-12563, दिनांक 26.12.2017 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग से श्री तिर्की के विरूद्ध पेंशन कटौती के प्रस्तावित दण्ड अधिरोपित करने पर सहमति की माँग की गयी।

उक्त के आलोक में आयोग द्वारा श्री तिर्की के विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड पर पुनर्विचार करने की अनुशंसा की गयी। आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री तिर्की के विरूद्ध की जाने वाले कार्रवाई की वैधानिकता पर विधि विभाग, झारखण्ड से परामर्श प्राप्त किया गया, जिसमें विधि विभाग द्वारा Dr. Ram Naresh Singh Vrs. State of Bihar & Ors. Reported in MANU/BH/0888/2008 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में निर्णय लेने का परामर्श दिया गया एवं उल्लेख किया गया है कि पूर्व का निर्णय overrule हो गया है।

विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री तिर्की के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-139 के अन्तर्गत कार्रवाई के बिन्दु पर पुनः विधि विभाग, झारखण्ड से परामर्श प्राप्त किया गया। उक्त के आलोक में विधि विभाग द्वारा महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची का परामर्श उपलब्ध कराया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

"Therefore my considered opinion is that no action can be taken against Sri J.J Tirkey under Rule-139(c) of Pension Rules because he retired on 31.08.2014 and his pension has been sanctioned on 22.10.2014 i.e. three years prior from seeking opinion."

अतः विधि विभाग, झारखण्ड से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री जॉन जार्ज तिर्की, तत्कालीन भू-संपदा पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची के विरूद्ध इस मामले को कालबाधित मानते हुए **संचिकास्त** किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 917 -- 50